

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26-अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेलरोड भोपाल

क्रमांक/स्थापना-2/अ-1/784/ 24५


भोपाल, दिनांक 24/05/2022

-: आदेश :-

संयुक्त संचालक, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय सागर के पत्र क्रमांक/बोर्ड/निय./21-22/280 दिनांक 09.05.2022 मे संलग्न भारसाधक अधिकारी/कृषि उपज मंडी समिति दमोह का प्रतिवेदन पत्र क्रमांक/मंडी/स्था./022-23/144 दिनांक 07.05.22 के आधार पर श्री कुंज विहारी बघेल मंडी निरीक्षक/प्रभारी सचिव कृषि उपज मंडी समिति दमोह जिला दमोह का अवैध वसूली में संलिप्तता तथा शासकीय कार्य में लापरवाही किये जाने के फलस्वरूप म0प्र0 राज्य मंडी बोर्ड सेवा विनियम 1998 के विनियम 35(1) के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

निलंबन अवधि में श्री कुंज विहारी बघेल मंडी निरीक्षक/प्रभारी सचिव कृषि उपज मंडी समिति दमोह जिला दमोह का मुख्यालय म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय सागर रहेगा। निलंबन अवधि में म0प्र0 राज्य मंडी बोर्ड सेवा विनियम 1998 के विनियम 36(1) के तहत जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। जिसका भुगतान कृषि उपज मंडी समिति दमोह जिला दमोह से प्रतिमाह की 5 तारीख तक कार्यालय म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय सागर के प्रमाणीकरण के आधार पर देय होगा।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।



(विकास सरवाल)

प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/स्थापना-2/अ-1/784/ 250

भोपाल, दिनांक 24/05/2022

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निज संहायक, प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
2. अपर संचालक (विभागीय जाँच) म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल। निर्धारित समयावधि में आरोप पत्र जारी करें।
3. संयुक्त संचालक, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय सागर की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि श्री कुंज विहारी बघेल, मंडी निरीक्षक/प्रभारी सचिव कृषि उपज मंडी समिति दमोह जिला दमोह का के विरुद्ध 15 दिवस में आरोप पत्र इत्यादि तैयार करवाकर अपर संचालक (विभागीय जाँच) मुख्यालय भोपाल को समयावधि में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही उपरोक्त जारी आदेश के फलस्वरूप रिक्त सचिव पद का तात्कालिक व्यवस्था के अन्तर्गत प्रभार सौपने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
4. भारसाधक अधिकारी/सचिव, कृषि उपज मंडी समिति दमोह जिला दमोह।
5. श्री कुंज विहारी बघेल, निलंबित मंडी निरीक्षक/प्रभारी सचिव कृषि उपज मंडी समिति दमोह जिला दमोह की ओर पालनार्थ।
6. आदेश नस्ती/व्यक्तिगत नस्ती/विभागीय जाँच/गो.च./ कम्प्यूटर शाखा मंडी बोर्ड भोपाल।



प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल